**न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर**
**अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2024**(GCMS 2024/22)
**(आरटीआई नं. 212843540010257)**

**श्री रोशन लाल** पुत्र किशोर चंद निवासी मनोज बर्तन भण्डार नजदीक बस स्टैण्ड से भगत सिंह चौक रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन

**बनाम**

**जिला** कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**19.06.2024**

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलाथी रोशनलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रोशन लाल ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.12.2023 को एक बिन्दु सूचना चाही थी। जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 667 दिनांक 19.12.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया कि अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 05 दिनांक 25.01.2024 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पुनः आयुक्त नगरपरिषद्, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया, जबकि उसके द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी रोशन लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2023 के द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

> कार्यालय सहायक मदन मोहन गुप्ता, सेवानिवृत दिनांक 30.06.2018 नगर पालिका सूरतगढ़ के पीपीओ नम्बर व बैंक खाते का नम्बर व पेंशन सैट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने बाबत।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक कोष/गंगा/आर.टी.आई./2023–24/298 दिनांक 18.03.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्तानुसार अपील के निस्तारण के संबंध में बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है:

1. श्री रोशन लाल पुत्र श्री किशोर चन्द का आर.टी.आई. आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 15.12.2023 को प्राप्त हुआ था।
2. इस कार्यालय के पत्रांक 667 दिनांक 19.12.2023 द्वारा आवेदन पत्र संबंधित को कोषालय स्तर की सूचना हेतु नियुक्त लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, प्रशासन को प्रस्तुत करने हेतु लौटाया गया। (राज्य सरकार का पत्र दिनांक 08.04.2001 की प्रति संलग्न)
3. उक्त सूचना कोषालय अनूपगढ़ से सम्बन्धित है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार एक लोक सूचना अधिकारी अन्य लोक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अंतरित करेगा। चूंकि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी नहीं है। अतः यह प्रकरण लोक सूचना अधिकारी स्तर से कोषालय अनूपगढ से संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अंतरित होना है।

अतः अपील खारिज करने की कृपा करें।

**-sd-**

(मनोज कुमार मोदी)
कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

**कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का उक्तानुसार दिया है,** जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त पत्र के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का सम्बन्ध नवगठित जिला अनूपगढ़ के कोष कार्यालय से सम्बन्धित है। उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व),

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ11(2)वित्त/राजस्व/07, जयपुर दिनांक 09.04.2007 के अनुसार जिला कोषालय, कलक्ट्रेट का ही भाग है और कलक्ट्रेट के लोक सूचना अधिकारी सम्बन्धित अति. जिला कलक्टर है। इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचनओं हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और अपीलार्थी यदि वांछित सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है। इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन** अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति** कोषधिकारी, **श्रीगंगानगर को** पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ को स्थानांतरित करें। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर